

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R-1347-PB-17

1. बिहारी पिता हरजी जाति बंजारा
निवासी-बंजारा बस्ती, रिसाला, डी.आर.पी. लाईन, धार
2. प्रेम पिता हरजी बंजारा
निवासी-बंजारा बस्ती, रिसाला, डी.आर.पी. लाईन धार
3. गोरेलाल पिता हरजी बंजारा
निवासी-शिवनगर, लाल तम्बु कोसाड, तालुकाचौरायसी,
सुरत गुजरात
4. सरदार पिता हरजी बंजारा
निवासी-सत्ताधार सोसायटी, कोसाड सुरत गुजरात
5. बाबुलाल पिता हरजी बंजारा
निवासी-बंजारा बस्ती, रिसाला, डी.आर.पी. लाईन धार
6. धनुबाई पति मांगीलाल बंजारा
निवासी-बंजारा बस्ती, रिसाला, डी.आर.पी. लाईन
7. प्रभु पिता मांगीलाल बंजारा
निवासी-सत्ताधार सोसायटी, कोसाड सुरत गुजरात
8. करणसिंह पिता मांगीलाल बंजारा
निवासी-रामदर्शन सोसा, बस्थाना, तालुकाचौरायसी
सुरत, गुजरात
9. संजय पिता मांगीलाल बंजारा
निवासी-शांतिनगर सोसायटी बस्थाना, तालुकाचौरायसी
सुरत गुजरात द्वारा मुख्यारआम कमांक 1 लगायत 9 के मुख्यार
रूपसिंह पिता बाबूसिंह जाति राजपूत
निवासी-नौगांव धार जिला धार म0प्र0

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

शाहिद जमा खान पिता शाह जमा खान
निवासी-राजेन्द्र मार्ग, धार

.....विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

अनुविभागीय अधिकारी महोदय नगर धार, धार के प्रकरण कमांक
46/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02.5.17 से असंतुष्ट होकर




मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि
निगरानीकर्ता के मालिकी व आधिपत्य की भूमि ग्राम जेतपुरा तह. व जिला धार में
स्थित होकर जिसका सर्वे नंबर 154/1/क रकबा 0.744 हेक्टेयर होकर उक्त भूमि
विधिक रूप से निगरानीकर्ता के मालिकीयत व आधिपत्य की होकर उक्त भूमि विधिक
रूप से उनके वडिल हरजी व मांगीलाल के नाम से राजस्व प्रपत्रों में दर्ज रही होकर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1347-पीबीआर/2017 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: right;">  अध्यक्ष </p> <p style="text-align: left;">  अ३३ </p>	<p style="text-align: center;">  अ३३ </p> <p> Adv. आरिन्द्य प्रताप सिंह शाहीद जमा खान की तरफ से। </p>